न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 59/2018

रामदेव बैरवा पुत्र धन्नालाल बैरवा निवासी बालापुरा तह0 मांगरोल जिला बारां —वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां —प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब दावा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92(क) एवं 188 आर0टी0एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री भंवर सिंह गौड, श्री लवकुल गौड
दायरा दिनांकः 28.06.2018 निर्णय दिनांक : 20.08.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की आवंटन शुदा एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 227 रकबा 10 बीघा वाके माल बालापुरा ग्राम पंचायत माल बमोरी तह0 मांगरोल में स्थित है। उक्त आराजी दिनांक 04.09.1986 को भू–आवंटन सलाहकार समिति केम्प माल बमोरी में उपजिला कलक्टर महोदय मांगरोल, तहसीलदार मांगरोल तथा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत माल बमोरी के द्वारा आवंटित की गई थी तथा वक्त आवंटन ही वादी को उक्त आराजी का कब्जा संभला दिया गया था। वादी उक्त आवंटन दिनांक से ही उक्त विवादित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी पर सहवन से राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम अंकित नही करके सरकारी भूमि घोषित कर दी गई है। तथा वादी उक्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार होने से वंचित हो गया है। वादी उक्त आराजी के राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार अपना नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। अतः वादी की आवंटन शुदा एवं कब्जे काश्त शुदा खसरा नं0 227 रकबा 10 बीघा आराजी वाके माल बालापुरा ग्राम पंचायत मालबमोरी पर वादी को खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रेकार्ड में उसका नाम बतौर खातेदार अंकित किया जावें। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी की आवंटन शुदा आराजी पर दखलअंदाजी ना करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 28.06.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है के द्वारा दिनांक 20.08.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा निम्नानुसार हैः–

01. बिन्दू सं0 1 दृढता से अस्वीकार है। वादी रामदेव बैरवा पुत्र धन्नालाल बैरवा को पुराने सेटलमेंट के आ0ख0नं0 227 रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा गै0 मु0 भूमि वाके ग्राम बालापुरा में से भू0आवंटन सलाहकार कमेटी केंप मालबमोरी में दिनांक 04.09.1986 को 10 बीघा भूमि 25 वर्ष की लीज पर वन विकास हेतु राजस्थान निजी वन विकास नियम 1983 के तहत आवंटित की गयी थी। जो मात्र अस्थायी रूप से वन विकास हेतु अस्थायी आवंटित की गयी थी। अर्थात उसके तहत किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार अथवा राजस्व रेकार्ड में आवंटी के हित में इन्द्राज नही होना था बाद मे चूकि वन विकास हेतु वन किसी ने भी नही लगाये तदनुसार उक्त वन विकास की अस्थायी लीज को राज्य सरकार ने समाप्त कर वापस इन्द्राज राज्य सरकार के नाम कर दिया।

इस प्रकरण में भी वादी के नाम का अस्थायी लीज जो दिनांक 04.09.1986 की 25 वर्षीय अवधि जो 04.09.2011 को समाप्त हो जाती है वादी का आज तक भी कब्जा काश्त नही होने के फलस्वरूप कोई आधार नही बनता है। कार्यालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां क्रमांक/राजस्व/8248–55 दिनांक 08.12.2017 से ग्राम बालापुरा के आराजी खसरा नं0 518 रकबा 4.69 है0 किस्म चारागाह में से 1.00 है0 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालापुरा खेल मैदान के नाम आवंटित शुदा है जिस पर नियमानुसार स्कूल का कब्जा है जिसका अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वार दिनांक 05.06.2018 को संस्था प्रधान को सीमा ज्ञान कराया हुआ है।

02. दिनांक 04.09.1986 को मात्र निजी वन विकास हेतु 25 वर्षीय लीज पर अस्थायी आवंटन किया जाना स्वीकार है। कब्जा दिया जाना एवं नियमित काबिज होना अस्वीकार है। निजी वन विकास हेतु लीज की भूमि पर वर्ष 1986 से आज तक कोई वृक्ष/वन लीज धारक द्वारा नही लगाया है। लीज की अवधि पूर्ण हो चुकी है, निजी वन विकास नियम की कोई शर्तो की पालना नही की है और वर्तमान में वादी का कोई कब्जा आदि नही है।

03. बिन्दु नं0 3 दृढता से अस्वीकार है। सुखाधिकार मात्र खातेदार को होते है जो वादी है ही नही। भूमि वादी के 1986 में वन विकास लीज आवंटन से पूर्व भी प्रतिबंधित गै0 मु0 सरकारी भूमि थी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि आ0ख0 नं0 518 रकबा 4.69 है0 किस्म चारागाह है। जिसमें से 1.00 है0 राजकीय उच्च प्रा0 विद्यालय बालापुरा खेल मैदान के नाम आवंटित एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित है।

04. बिन्दु नं0 3 दृढता से अस्वीकार है। वाद पत्र में अंकित साबिक खसरा नं0. 227 रकबा 10 बीघा किस्म गै0 मु0 सरकारी भूमि जिसके हाल खसरा नं0 518 रकबा 1.00 है0 किस्म चारागाह

वाके ग्राम बालापुरा जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालापुरा खेल मैदान के नाम आवंटित है।

05. बिन्दु नं0 5 अस्वीकार है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि गै0 मु0 चारागाह जिसमें अस्थायी वन विकास हेतु 25 वर्षीय लीज जो कि समाप्त हो चुकी है पर किसी प्रकार के अधिकार राजस्व रेकार्ड में दये नही बनते है।

06. बिन्दु नं0 6 अस्वीकार है।

07. बिन्दु नं0 7, 8, 9 व 10 कानूनी है।

विशेष आपत्तियां:–

वादी रामदेव पुत्र धन्नालाल बैरवा की जो साबिक आ0ख0नं0 227 रकबा 10 बीघा किस्म गै0 मु0 सरकारी हाल आ0 ख0 नं0 518 रकबा 4.69 है0 किस्म चारागाह में से 1.00 है0 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालापुरा खेल मैदान के नाम आवंटित एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित है। दिनांक 04.09.1986 को मात्र निजी वन विकास हेतु 25 वर्षीय लीज पर आवंटित हुई थी जो वर्ष 2011 में समाप्त हो चुकी है। अस्थायी लीज की शर्तो की कोई पालना नही की और वर्ष 1986 से आज तक कभी भी इस अस्थाई लीज धारी वादी का कब्जा नही रहा है। अतः वाद वादी शतप्रतिशत गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारीज योग्य है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। दिनांक 20.08.2018 को वकील वादी व प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) उपस्थित है। वकील वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिसका उन्होने अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्श पर पहुचा है कि आराजी खसरा नं0 227 रकबा 10 बीघा वाके माल बालापुरा वादी को दिनांक 04.09.1986 को मात्र निजी वन विकास हेतु 25 वर्षीय लीज पर आवंटित हुई थी जो वर्ष 2011 में समाप्त हो चुकी है। अस्थायी लीज की शर्तो की कोई पालना नही की है। और वर्ष 1986 से आज तक कभी भी इस अस्थाई लीज धारी वादी का कब्जा नही रहा है। अतः वाद वादीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक